पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2025

अनवान :

1. मनदीप कुमार पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

:— **वादी**

बनाम

1. रणसिंह पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. मन्जु पुत्री रणसिंह पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी देयड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कामरान खान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक ईकबाल दावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 70/114 के खसरा संख्या 119 की 1.1380 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2/15 हिस्सा तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 69/116 के खसरा संख्या 103, 113, 119/1, 162/1, 40, 74, 96 कुल खसरा 7 की 29.5180 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 110/115 के खसरा संख्या 73 की 3.212 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 643/12848 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह अकेले की बजाय वादी मनदीप कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.5.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर

(निधि उड़सरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़